निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**15 पौष 1943 (श0)**

**(सं0 पटना 14) पटना, बुधवार, 5 जनवरी 2022**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
5 जनवरी 2022

जी०एस०आर०–01 दिनांक 5 जनवरी 2022—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विशिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाना आदेश, 2016 द्वारा प्रकाशित का0 आ0 संख्या– 4146 (अ) दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0–9 दिनांक 19 अप्रैल, 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 के खंड–3 की कंडिका सं0–18 के अन्तर्गत खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के लिए निम्नांकित संचयन सीमा निर्धारित करते हैं यथा :–

1- यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होकर 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए सभी खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहन पर एक साथ लागू होगा। राज्य में खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी व्यापारी किसी भी समय खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी स्टॉक नीचे उल्लेखित मात्रा से अधिक भंडारण नहीं करेगा :–

¼d½ नगर निगम क्षेत्र– खाद्य तेल 500 (पाँच सौ) क्वींटल एवं खाद्य तिलहन 1000 (एक हजार) क्वींटल।

¼[k½ अन्य सभी क्षेत्र– खाद्य तेल 250 (दो सौ पचास) क्वींटल एवं खाद्य तिलहन 500 (पाँच सौ) क्वींटल।

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये खाद्य तेल/खाद्य तिलहन के स्टॉक में लागू नहीं होगी –

(i) सरकारी मद्दे स्टॉक;

(ii) राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक;

(iii) भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टॉक;

(iv) कोई निर्यातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक–निर्यातक कोड संख्या है, यदि

ऐसा निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसका पूरा स्टॉक या उसका कुछ हिस्सा निर्यात के आशय से स्टॉक की सीमा में है;

(v) कोई आयातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, यदि ऐसा आयातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का कुछ हिस्सा आयात से प्राप्त है।

2- उपर्युक्त निर्धारित संचयन सीमा का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

3- यदि संबंधित विधिक इकाईयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके द्वारा उसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in) पर की जाएगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने की 30 दिनों के भीतर राज्य/जिला प्रशासन, जहाँ वह अपना कारोबार संचालित कर रहा है, के निर्णयानुसार उक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाई जाएगी।

4- खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाएगी और इसे इस विभाग के पोर्टल अर्थात खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (https://evegoils.nic.in) के पोर्टल पर अद्यतित किया जाएगा।

प्र04/आ–01/09 (खंड–III)–45

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर,
सरकार के विशेष सचिव।

---

***The 5th January 2022***

GSR. 01, dated 5th January 2022.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2016, published through S.O No. 4146 (E) dated 08.10.2021, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Government of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following order to laid down the Stock limit for edible oil and edible oilseed under part 3, clause 18 in Bihar Trade Article (License Unification) Order, 1984 Publish through Notification of Food and Consumer Protection Department, Bihar vide GSR - 09 dated 19 April, 1984 such as :-

**1.** This order shall come into force from the date of its publication in the official gazette and shall be effective till 31st March, 2022 on all Edible Oil and Edible Oilseed. Any dealer of Edible Oil and Edible Oilseed in the State shall not keep the stock of Edible Oil and Edible Oil seed in a given time in excess of quantities mentioned below :-

(a) Municipal Corporation Areas - Edible Oil - 500 (Five Hundred) quintals and Edible Oilseed -1000 (One Thousand) quintals.

(b) All Other Areas - Edible Oil - 250 (Two Hundred fifty) quintals and Edible Oilseed -500 (Five Hundred) quintals.

Provided that nothing contained in this order shall apply to the holding or keeping of stock of Edible Oil and Edible Oilseed by the Following: -

(i) Stock held on Government account;

(ii) Stock held by the recognized dealers nominated by the State Government or an officer authorized by it to hold stock for distribution through Fair Price Shops;

(iii) Stock held by the Food Corporation of India/Bihar State Food Corporation, stock;

(iv) An exporter, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, having Importer Exporter Code Number issued by the Director General of Foreign Trade, if such exporter is able to demonstrate that the whole or part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are meant for exports, to the extent of the stock meant for export;

(v) An importer, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, if such importer is able to demonstrate that part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are sourced from imports.

**2.** The stock limits fixed as above shall not be exceeded in any case without prior approval of the State Government.

**3.** In case, the stocks held by respective legal entities are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal (https://evegoils.nic.in) of Department of Food & Public Distribution and bring it to the prescribed stock limits as decided by the State/District administration where it is conducting its business within 30 days of the issue of such notification by the said authorities.

**4.** It shall be ensured that Edible Oils and Edible Oilseeds stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. Department of Food & Public Distribution (https://evegoils.nic.in).

(Pra-04-aa-01/09-Part-III)-45
By order of the Governor of Bihar,
CHANDRASHEKHAR,
*Special Secretary to the Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 14-571+100-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**